[2022] 13 एस. सी. आर. 996

वेदरफोर्ड ऑयल टूल मिडिल ईस्ट लिमिटेड

बनाम

बेकर ह्यूजेस सिंगापुर पीटीई

(2022 की मध्यस्थता याचिका संख्या 03)

20 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई और बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 11 (6) को एस 11 (12) के साथ पढ़ा जाता है-मध्यस्थ की नियुक्ति - माध्यस्थम करार अनस्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट में - तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता और उत्तरदाता ने तीन करार किए- उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को तीन पत्र जारी कर करार समाप्त किया- इसके अनुसरण में , याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता को कुछ राशि का भुगतान करने के लिए कहा जिसे उत्तरदाता ने अस्वीकार कर दिया था- तत्पश्चायत, याचिकाकर्ता ने तीन करार में शामिल मध्यस्थता खंडों को लागू करते हुए नोटिस जारी किए - जवाब में उत्तरदाता ने यह तर्क दिया कि करार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, हालांकि, उत्तरदाता ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह अंततः असफल रहा- फलस्वरूप , उत्तरदाता ने न तो सहमति व्यक्त की और न ही मध्यस्थों के नाम का सुझाव दिया- एस 11 (6) के साथ पढ़ें एस 11 (12) अधिनियम, 1996 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर तीन मध्यस्थता याचिकाएं उपरोक्त विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई- निर्णय : चूंकि तीनों में निहित मध्यस्थता समझौते करार को उत्तरदाता द्वारा विवादित नहीं किया गया था, और चूंकि स्वयं उत्तरदाता ने उक्त करार के तहत विवादों को सम्मिलित करने और उन्हें एकल मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने का प्रस्ताव दिया था, अब उत्तरदाता यह कह नहीं सकता कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि दोनों करार पर महाराष्ट्र स्टांप शुल्क अधिनियम के तहत अपेक्षित स्टांप शुल्क के निर्धारण के संबंध में मामला कलेक्टर के समक्ष लंबित है- मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित होने पर भी मध्यस्थता करार की

प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं है - निस्सन्देह, उक्त मुद्दा संविधान पीठ द्वारा विचाराधीन है, जो मामले अभी भी नियुक्ति से पहले के चरण में लंबित हैं, उन्हें तब तक मुल्तवी नहीं छोड़ी जा सकती जब तक कि बड़ी पीठ इस मुद्दे को निराकृत नहीं कर देती- उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को विवाद पर निर्णय देने स्वरुप एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया - स्टाम्प शुल्क।

याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

निर्णय: 1. जब वर्तमान याचिकाओं के तथ्यों का परीक्षण किया गया, जब वर्तमान याचिकाओं के तथ्य हैं जांच की गई, यह ध्यान देने योग्य है कि तीन करार का निष्पादन, नामतः , तटवर्ती सेवा समझौता, पट्टा समझौता और ड्रिलिंग सेवा समझौता याचिकाकर्ता और उत्तरदाता ने विवाद नहीं किया है। उत्तरदाता द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को उक्त तीन करार को समाप्त करने वाले समाप्ति पत्र और निर्णय के पहले भाग में बताए गए पक्षों के बीच हुए अन्य पत्राचार भी विवादित नहीं हैं। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए मध्यस्थता नोटिस के जवाब में उत्तरदाता ने 17 जनवरी 2021 के पत्र में एक विवाद उठाया था कि समझौतों पर मुहर नहीं लगाई गई थी और परिणाम महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के अनुसार होंगे,उत्तरदाता ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रस्ताव रखा, और तीन करार के तहत विवादों को समेकित करने के विकल्प में भी सुझाव दिया। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयास विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता इसके बाद एक एकल मध्यस्थ द्वारा सुने जाने वाले तीन करार के तहत विवादों को समेकित करने के लिए भी सहमत हो गया।

याचिकाकर्ता ने मध्यस्थों के नाम भी प्रस्तावित किए, हालांकि, उक्त नाम के लिए उत्तरदाता सहमत नहीं थे तथा उत्तरदाता भी एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी नाम का प्रस्ताव करने में विफल रहे। [पैरा 14 और 15] [1008-जी-एच; 1009-ई-एच]

2. चूँकि तीनों समझौतों, अर्थात् तटवर्ती सेवा समझौता, पट्टा समझौता और ड्रिलिंग सेवा समझौता में निहित मध्यस्थता करार पर उत्तरदाता द्वारा विवाद नहीं किया गया था, और चूंकि उत्तरदाता ने स्वयं उक्त करार के तहत विवादों को समेकित करने और उन्हें एक ही मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने का प्रस्ताव दिया था, इसलिए

इस न्यायलय की राय है कि अब उत्तरदाता यह कह नहीं सकता है कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दो करार पर महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम के तहत आवश्यक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के संबंध में मामला कलेक्टर के समक्ष लंबित है।

मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित होने पर भी मध्यस्थता करार की प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं है - निस्सन्देह, उक्त मुद्दा संविधान पीठ द्वारा विचाराधीन है, जो मामले अभी भी नियुक्ति से पहले के चरण में लंबित हैं, उन्हें तब तक मुल्तवी नहीं छोड़ी जा सकती जब तक कि बड़ी पीठ इस मुद्दे को निराकृत नहीं कर देती। [पैरा 16] [1010-बी-ई]

एन. एन. ग्लोबल मर्कैंटाइल यूनिक प्रा. लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य ***(2021) 4 एस. सी. सी. 379****, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम वाटरलाइन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड* ***(2022) 7 एस. सी. सी. 662****- पालन किया*

एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड ***(2011) 14 एस. सी. सी. 66: [2011] 9 एस. सी. आर. 382****, गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग। लिमिटेड* ***(2019) 9 एससीसी 209: [2019] 5 एस. सी. आर. 579****, विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम* ***(2021) 2 एस. सी. सी. 1*** *- संदर्भित किया गया।*

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(2021) 4 एस. सी. सी. 379	पालन किया गया	पैरा 3
(2022) 7 एस. सी. सी. 662	पालन किया गया	पैरा 4
[2011] 9 एससीआर 382	संदर्भित किया गया	पैरा 11
[2019] 5 एससीआर 579	संदर्भित किया गया	पैरा 11
(2021) 2 एससीसी 1	संदर्भित किया गया है	पैरा 11

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2022 की मध्यस्थता याचिका संख्या 03

अधिनियम की धारा 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत याचिका एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

साथ

मध्यस्थता याचिका संख्या 52, 2021 और 02, 2022

अमित सिब्बल, एन. रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. ऋषभ गुप्ता, साईराम सुब्रमण्यन, नीलाभ श्रीश, एस. एस. श्रॉफ, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत सिंह बिंद्रा, सुश्री अंशिका मिश्रा, आदित्य भट्ट, परिमल कश्यप, सुश्री सिमरान जीत, उत्तरदाता के अधिवक्ता ।

वेदरफोर्ड ऑयल टूल मिडल ईस्ट लिमिटेड बनाम बेकर ह्यूजेस सिंगापुर पीटीई

न्यायालय का निर्णय माननीय श्रीमान द्वारा वितरित किया गया

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. याचिकाकर्ता द्वारा दायर ये तीनों मध्यस्थता याचिकाएँ मध्यस्थता और सुलह 1996 (इसके बाद मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (12) सहपठित 11 (6) पर, उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकल मध्यस्थ का गठन पक्षों के बीच निष्पादित तीन करार में, आंतरिक रूप से जुड़े होने के कारण यह एक साथ सुने गए, और इसे सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया गया ।

2. इन याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पष्ट तथ्य इस प्रकार हो सकते हैं - वे निम्नानुसार हैः

(i) याचिकाकर्ता ब्रिटिश वर्जिन द्वीप में निगमित एक कंपनी है , जो मड *लॉगिंग*, ड्रिलिंग जार और मछली पकड़ने के उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स और तेल क्षेत्र उपकरणों के निर्यात के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। उत्तरदाता की एक कंपनी है जो सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित और तेल क्षेत्र सेवाएं प्रदान करते है, अन्य बातों के साथ-साथ कुएँ के डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और कुएँ निर्माण सेवाओं के प्रावधान को वेदांता लिमिटेड को प्रदान करवाते है (**" ऑपरेटिव")**।

(ii) वर्ष 2018 में, उत्तरदाता ऑपरेटिव - वेदांता लिमिटेड को सेवाएँ प्रदान करने की संभावना पर विचार कर रहा था यथावत्: ऑपरेटर के तेल क्षेत्र जो राजस्थान में स्थित हैं। इसके बाद पार्टियों ने निम्नलिखित तीन अनुबंध निष्पादित किए:

अ) तटवर्ती पट्टा अनुबंध संख्या. बीएचजीई-डीएसए-डब्ल्यूडीआई 2018, 20 नवंबर, 2018 को दिन-दर के आधार पर रिग्स के पट्टे के लिए ("**पट्टा अनुबंध**")

ख) तटवर्ती ड्रिलिंग सेवा अनुबंध संख्या. बीएचजीई- डी. एस. ए.-डब्ल्यू. डी. आई.-2018 (इंटरनेशनल होल्डिंग बी. वी. आई.) दिनांक 20 नवंबर, 2018, ड्रिलिंग सेवाओं के लिए **(" ड्रिलिंग सेवा अनुबंध"),** और

(ग) अनुबंध दिनांक 05 फरवरी, 2019 उपलब्ध कराने के लिए जो निम्नानुसार हैं- ए) मड *लॉगिंग*, (बी) ड्रिलिंग जार; (सी) मछली पकड़ने के उपकरण; और अन्य सेवाएं, चालक दल के पूर्ण पूरक के साथ, तेल क्षेत्रों में उपकरण और सामग्री भी ("तटवर्ती सेवा अनुबंध") । उक्त अनुबंध, संशोधन करार के माध्यम से दिनांक 22 नवंबर, 2019 और दिनांक 7 जनवरी, 2020 संशोधित किये गये ।

(iii) उत्तरदाता ने 9 अप्रैल, 2020 को याचिकाकर्ता को उक्त तीन करार को समाप्त करने के लिए तीन पत्र (समरूप) जारी किए। उक्त समाप्ति पत्रों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 13 अप्रैल, 2020 को उत्तरदाता को करार के संदर्भ में "कॉल आउट ऑर्डर" के अवशिष्ट मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में सूचित किया। किन्तु , उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को भुगतान करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता के खिलाफ दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को अपने दावों को उठाने वाले संबंधित तीन करार में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए तीन नोटिस जारी किए।

(iv) कथित तीन मध्यस्थता नोटिसों के जवाब में उत्तरदाता ने दिनांक 17 जनवरी, 2021 को एक सामान्य जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क भी उठाया गया कि करार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अनुसार निर्णय किया जायेगा। हालाँकि उत्तरदाता ने उक्त पत्र में करार के तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा। उत्तरदाता ने करार के तहत एकल मध्यस्थ, विवाद के निर्णय के लिए, एकल मध्यस्थता में समेकित विवादों के समेकन और संदर्भ के लिए भी प्रस्ताव दिया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए मध्यस्थों के किसी भी नाम से उत्तरदाता सहमत नहीं था परिणामत: उत्तरदाता ने मध्यस्थों के नाम प्रस्तावित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

(v) याचिकाकर्ता ने दिनांक 29 जनवरी, 2021 को उत्तरदाता के सुझाव अर्थात विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, मध्यस्थता विफल होने के तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 1 सितंबर, 2021 को पत्र के माध्यम से तीन करार अर्थात ऑनशोर सर्विस एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और ड्रिलिंग सर्विस एग्रीमेंट, एकल मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा सुनने और विवादों के समेकन के लिए सहमति व्यक्त की, अथवा मध्यस्थों के दो नाम अग्रसर किये । याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक सुझाव भी व्यक्त किया कि मुंबई सेंटर ऑफ

इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (" एम. सी. आई. ए.), एम. सी. आई. ए. नियम, 2016 के नियम 7.8 के तहत नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है।

(vi) उत्तरदाता दिनांक 07 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं था, और न ही उसने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद, पक्षों के बीच संवाद हुआ, तथापि उत्तरदाता ने समेकित मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्तियों के कोई भी नाम प्रस्ताव नहीं किये। अतः याचिकाकर्ता ने ये तीन याचिकाएं दायर की हैं।

3. उत्तरदाता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मेहता द्वारा उठाए गए विवाद का मूल यह है कि तीन अनुबंध में से केवल एक अनुबंध पर मुहर लगाई गई थी और अन्य दो पर महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 (इसके बाद "स्टाम्प अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार मुहर नहीं लगाई गई थी। बेशक, उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य दो अनुबंध के लिए स्टाम्प शुल्क के निर्धारण का मामला कलेक्टर के पास लंबित है। हालाँकि, उनके अनुसार, न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न में **एन. एन. ग्लोबल मर्कैंटाइल यूनिक प्राइवेट लि. बनाम इंडो. यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य के मामले में** इस मुद्दे को संदर्भित किया है कि क्या स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 में निहित वैधानिक प्रतिबंध अधिनियम की अनुसूची सहपठित धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य उपकरणों पर लागू होता है, ऐसे साधन में निहित मध्यस्थता करार को भी प्रदान करेगा जो स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए गैर-मौजूद, अप्रवर्तनीय या अमान्य होने के रूप में प्रभार्य नहीं है, मूल अनुबंध/साधन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित है, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को, और इसलिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिकाओं पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल ने मामले में इस न्यायालय के निम्न फैसले पर भारी निर्भरता व्यक्त किया - इं**टर-कॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अनदर बनाम वाटरलाइन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड** ने कहा कि उक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के सभी फैसलों पर विचार करने के साथ-साथ संविधान पीठ को दिए गए मुद्दे के संदर्भ पर भी ध्यान देने के बाद मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) सहपथित धारा 11 (12) के तहत दायर मध्यस्थता याचिका पर विचार किया था, यह अभिनिर्धारित

करते हुए कि मध्यस्थता मामलों में समय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय मामलों को विलम्बित नहीं छोड़ सकता जब तक बड़ी पीठ इस मुद्दे का निराकरण नहीं कर देती। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तुत किया गया स्टाम्प शुल्क का अपर्याप्त भुगतान या गैर-भुगतान एक सुधार योग्या गलती है और मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित होने पर भी मध्यस्थता करार की प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार अन्यथा भी, न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है और वे उन करार की वैधता के मुद्दे पर नहीं जा सकते है जिसमें मध्यस्थता खंड निहित है।

5. प्रारंभ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा 6ए को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा जोड़ा गया था पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 23.10.2015, जो इस प्रकार है:

> " (6ए) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप- धारा (4) या उप- धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता करार के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगी।

6. उक्त उप-धारा 6ए को 2019 के अधिनियम 33 द्वारा हटा दिया गया जो दिनांक 30.08.2019 पर लागू हुआ। अर्थात उप-धारा (6ए) को उस दिनांक से हटा दिया गया है।

7. इसके अतिरिक्त मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता से संबंधित है, धारा 16 की सुसंगत उप-धारा 1 निम्नानुसार हैः -

> " धारा 16 - इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता अधिकारिता-(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, जिसमें अस्तित्व या अस्तित्व के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय देना शामिल है। मध्यस्थता करार की वैधता, और उस उद्देश्य के लिए,-

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, इसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक अनुबंध के रूप में माना जाता है और

(ख) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, मध्यस्थता खंड की अवैधता को वैधानिक रूप से अमान्य नहीं करेगा।

8. उपर्युक्त प्रावधान का मात्र वाचन पढने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण न केवल अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, बल्कि मध्यस्थता करार के अस्तित्व या वैधता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भी सक्षम है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि एक मध्यस्थता खंड जो अनुबंध का हिस्सा बनता है उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक करार के रूप में माना जाएगा, और यह कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, मध्यस्थता खंड की अवैधता को वैधानिक रूप से अमान्य नहीं करेगा।

9. मध्यस्थता न्यायशास्त्र में शामिल, पृथक्करण का सिद्धांत अथवा योग्यता का सिद्धांत, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संक्षेप में नवीनतम मुक़दमे **न. न. ग्लोबल मर्कैंटाइल (पी) लिमिटेड (सुपरा**) में समझाया:

"4. यह मध्यस्थता न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित है, कि मध्यस्थता करार एक विशिष्ट और अलग अनुबंध है, जो उस मूल वाणिज्यिक अनुबंध से स्वतंत्र है जिसमें यह अंतर्निहित है। यह इस आधार पर आधारित है कि जब पक्ष मध्यस्थता खंड वाले वाणिज्यिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो वे दो अलग-अलग करार में प्रवेश कर रहे होते हैं। : (i) मूल अनुबंध जिसमें वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकार और दायित्व शामिल हैं; और (ii) माध्यस्थम करार जिसमें मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए पक्षों का बाध्यकारी दायित्व शामिल है।

4.1. मध्यस्थता समझौते की स्वायत्तता पृथकता और कोम्पेटेंज़ की अनुलिपित अवधारणाओं पर आधारित है। पृथकता और कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत हालांकि परस्पर संबंधित हैं, मगर विशिष्ट हैं और मध्यस्थता प्रक्रिया की स्वायत्तता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.2. मध्यस्थता करार की पृथकता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि अवैधता, प्रभावहीनता या मूल वाणिज्यिक अनुबंध की समाप्ति, मध्यस्थता करार की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय

इसके कि मध्यस्थता करार पर सीधे इस आधार पर महाभियोग चलाया जाए कि मध्यस्थता करार शुरुआत से ही शून्य है।

4.3. कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अपने अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने और शासन करने की क्षमता है, जिसमें मध्यस्थता करार के अस्तित्व, वैधता और दायरे के संबंध में आपत्तियां शामिल हैं, जो कार्यवाही के बाद के चरण में न्यायपालिकाद्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। मध्यस्थता अधिनियम के तहत, धारा 16 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदान किए गए अनुसार अंतिम पुरस्कार पारित होने के बाद ही न्यायालय के समक्ष चुनौती कायम रखी जा सकती ह, वह चरण जिस पर न्यायाधिकरण का उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित आदेश न्यायिक समीक्षा के योग्य होता है, क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार में निर्भर करता है। कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत पूर्व-संदर्भ स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अप्रत्याशित चुनौतियों को कम करने के लिए विकसित हुआ है।

10. उक्त मामले में **एन. एन. ग्लोबल मर्कैंटाइल (पी) लिमिटेड (उपरोक्त),** यह मुद्दा उत्पन्न हुआ कि क्या बिना मुहर लगे अनुबंध में निहित मध्यस्थता करार पर कार्रवाई की जा सकती है और न्यायलय ने इस प्रकार यह प्रेक्षित किया की:

21. वर्तमान मामले में जो मुद्दे उत्पन्न हुए वह यह है कि क्या अनस्टैम्प्ड काम में शामिल मध्यस्थता करार, 28-9-2015 दिनांकित आदेश भी कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय होगा, जब तक कि कार्य आदेश डाक टिकट के भुगतान के अधीन न हो जाए। निर्विवाद रूप से, कार्य आदेश महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की पहली अनुसूची के आइटम 63 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य है।

22. हमारे विचार में, कार्य आदेश पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करना या कोई कमी, मुख्य अनुबंध को अमान्य नहीं करती है। धारा 34 में यह प्रावधान है कि जब तक आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक एक अनस्टाम्प्ड उपकरण साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा, या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह केवल अपूर्णता होगी, जिसे सुधारा जा सकेगा ।

23. विचार करने की बात यह है कि क्या कार्य आदेश पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से मध्यस्थता खंड अवैध, गैर-मौजूद, या कानून में अप्रवर्तनीय है पर्यत मूल वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता ।

24. कार्य आदेश में निहित माध्यस्थम करार अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से स्वतंत्र और विशिष्टहै। माध्यस्थम करार एक ऐसा करार है जो विवाद समाधान का तरीका प्रदान करता है। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 3, अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न अन्य समझौतों के विपरीत, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए मध्यस्थता करार का विषय नहीं है। यह स्पष्ट कारण है कि एक माध्यस्थम करार एक वाणिज्यिक समझौते से उत्पन्न विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए से बना है। पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, मध्यस्थता करार अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से एक अलग और विशिष्ट समझौता है, जो मूल अनुबंध से स्वतंत्र रहेगा। मध्यस्थता समझौते को अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं माना जाएगा, भले ही मूल अनुबंध साक्ष्य में स्वीकार्य न हो, या स्टांप शुल्क का भुगतान न करने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

26. हमारे विचार में, मध्यस्थता करार की प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं है, जिस पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित है। कार्य आदेश या मूल वाणिज्यिक के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्णय हालाँकि, अनुबंध का पालन किये बिना आगे नहीं बढ़ेगा ।

27. स्टाम्प अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम में निर्दिष्ट उपकरणों के कुछ वर्गों पर राज्य को स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए एक वित्तीय अधिनियम है। स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 के अंतर्गत उन उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है जिन्हें जब्त कर लिया गया है, और धारा 42 की उपधारा (1) के लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा विधिवत मुहर लगाने के बाद उपकरण का समर्थन करना आवश्यक है। धारा 42(2) में प्रावधान है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगने के बाद, यह साक्ष्य में स्वीकार्य होगा, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

11. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त मामले में (एन. एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड.) फैसले को खारिज कर दिया **एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम चांदमारी टी कं. (पी) लिमिटेड** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बिना मुहर लगे वाणिज्यिक अनुबंध में मध्यस्थता करार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती और यह कानून में अप्रवर्तनीय है। इसके अतिरिक्त न्यायलय ने निम्न मामब्ले के निर्णय गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कि, जिसने एसएमएस टी एस्टेट्स (सुप्रा) में फैसले का पालन किया था, उसने कानून में सही स्थिति नहीं बताई। तथापि न्यायलय ने देखा कि गरवारे वॉल रोप्स

लिमिटेड (ऊपर) के फैसले को विद्या द्रोलिया बनाम मामले में इस न्यायलय की समन्वय पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। हालांकि, दुर्गा व्यापार निगमों और इसलिए न्यायलय (एन. एन. ग्लोबल मर्केंटाइल मामले में) ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 33. हमने यह विचार में लिया कि गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड के फैसले को विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन में इस न्यायलय की एक समन्वय पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।[विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन] । पैराः फैसले का अनुच्छेद 146-147 इस प्रकार हैः (विद्या द्रोलिया मामला एस. सी. सी. पीपी. 115-16)

" 146. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए अग्रसर हैं कि क्या धारा 11 में "अस्तित्व" शब्द केवल अनुबंध गठन को संदर्भित करता है (क्या कोई माध्यस्थम करार है) और प्रवर्तन (वैधता) का प्रश्न शामिल नहीं है तथा प्रवर्तन (वैधता) के सवाल को बाहर करता है और तथा परवर्ती अभिनिर्देशन चरण में न्यायलय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता करार के अस्तित्व और मध्यस्थता करार की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या "अस्तित्व" शब्द के स्पष्ट अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। तथापि, न्यायशास्त्र और संदर्भवाद पर यह मानना समान रूप से संभव है कि समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि यह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। मध्यस्थता करार का अस्तित्व एक वैध करार की अपेक्षा करता है जिसे न्यायलय द्वारा पार्टियों को मध्यस्थता में स्थानांतरित करके लागू किया जाएगा। कानूनी और स्पष्ट अर्थ वाली व्याख्या परिभाषा खंड सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी और इसके कड़े परिणाम होंगे। अस्तित्व" की युक्तियुक्त एवं उचित व्याख्या के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य मध्यस्थता करार के लिए लागू संदर्भ, उद्देश्य और प्रासंगिक कानूनी मानदंडों को समझने की आवश्यकता होगी । लिखित रूप में प्रमाणित करार का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पक्षकारों को शर्तों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके। कोई भी पक्ष अप्रवर्तनीय दस्तावेज़ के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता और अधिकारों का दावा नहीं कर सकता । इस प्रकार, यह युक्तियुक्त हैं कि एक माध्यस्थम करार केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय ज़प्ति कुछ भी करने के लिए कोई करार नहीं है। मध्यस्थता करार के अस्तित्व का अर्थ है की मध्यस्थता है जो मध्यस्थता करार अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक

आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू होता है।

147. हम विस्तार से प्रवृत्त होंगे और इसके अतिरिक्त युक्तियुक्त कारण देंगे:

147.1. (i) गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड में इस न्यायालय ने एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी। एक मध्यस्थता खंड के साथ और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया गया था, तथापि मध्यस्थता करार के "अस्तित्व" और "वैधता" के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियों को किया गया था। हम उसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे: (एससीसी पृष्ठ 238)

29. यह निर्णय **हुंडई इंजी. मामला [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग। एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एससीसी 607]** इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो विशेष रूप से विचाराधीन था वह एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व रविष्ट करता है या स्वीकार करता है। चूँकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, तथापि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, एक प्रकार से पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया गया था अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व स्वीकार या स्वीकृत नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक कानूनी मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं। यह तर्क कि धारा 11(6-ए) "अस्तित्व" से संबंधित है, धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत, जो मध्यस्थता करार की "वैधता" से संबंधित है, इस न्यायालय की अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की समझ से उत्तर दिया गया है हुंडई इंजीनियरिंग के मामले में [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607], जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया जाता है।

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और माध्यस्थम करार मौजूद नहीं है यदि वह अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अमान्य अनुबंध कोई अनुबंध नहीं है।

34. हमें विद्या ड्रोलिया [विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 एससीसी 1] में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पैरा 146 और 147 में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह है। निष्कर्षों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। [गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209], जिसकी पुष्टि विद्या ड्रोलिया [विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 एससीसी 1] के पैरा 146 और 147 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को दी गई है।"

12. न्यायालय ने अंततः निम्नलिखित मुद्दे को संदर्भित किया और वह पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से तय किया गयाः -

58. हम निम्नलिखित मुद्दे को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से हल करने के लिए संदर्भित करना उचित समझते हैं:

" "क्या स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 35 में निहित वैधानिक रोक अधिनियम की अनुसूची के साथ पढ़ी गई धारा 3 के तहत स्टांप शुल्क के लिए प्रभार्य उपकरणों पर लागू होती है, ऐसे दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता समझौते को भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, गैर-मौजूद, अप्रवर्तनीय, या अमान्य होने के कारण, मूल अनुबंध / साधन पर स्टांप शुल्क का भुगतान लंबित है?

13. इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि हाल ही में **इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लि. & एन. आर. बनाम वाटरलाइन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय लिया है की एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(12)(ई) सहपठित धारा 11(6) के तहत दायर एक आवेदन पर विचार करते समय, जो कि बिना मुहर लगा दस्तावेज़ था, नोटिस लिया गया पहले के निर्णयों के साथ-साथ इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजा गया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः"

25. यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि न्यायशास्त्र के निराकरण करने लिए एक बड़ी पीठ के गठन की आवश्यकता है, हम मध्यस्थता के मुद्दों को समाधित करने में समय की संवेदनशीलता से भी अवगत हैं। ये सभी मामले अभी भी नियुक्ति से पहले के चरण

में हैं और हम उन्हें विचाराधीन कर त्याग नहीं सकते जब तक कि बड़ी पीठ इस मुद्दे को निराकृत नहीं कर देती। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को - जब तक कि बड़ी पीठ धारा 11(6) और 16 के बीच परस्पर क्रिया पर निर्णय नहीं ले लेती - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता जारी रहे, जब तक कि न्यायालय के समक्ष मुद्दा स्पष्ट रूप से अवांछित बाधा का संकेत नहीं देता है।

14. उपर्युक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यदि वर्तमान याचिकाओं के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह ध्यान देने योग्य है कि तीन अनुबंध का निष्पादन अर्थात् तटवर्ती सेवा समझौता, पट्टा समझौता और ड्रिलिंग सेवा समझौते पर याचिकाकर्ता और उतरदात्ता के बीच विवाद नहीं हुआ है। तीनों करार में निहित मध्यस्थता के लिए समान खंड-23 पर भी विवाद नहीं किया गया है। उक्त खंड निम्नानुसार हैः

"मध्यस्थता करना:

इस अनुबंध के उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता, या इसमें शामिल या यहां विलोपित किये गए प्रावधानों (सामूहिक रूप से, एक "विवाद") से उत्पन्न होने वाले, संबंधित या संबंधित पक्षों के बीच किसी भी तर्क-वितर्क , विवाद या दावे को संदर्भित किया जाएगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया गया, जिन्हें इस अनुच्छेद 23 में संदर्भ द्वारा शामिल माना जाता है। मध्यस्थता निम्नानुसार की जाएगीः

i. यदि विवाद के अंतर्गत दावे का मूल्य 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है तो एक एकमात्र मध्यस्थ को पारस्परिक रूप से नियुक्त किया जाएगा और किसी अन्य स्थिति में तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एक मध्यस्थ और नामांकित मध्यस्थों द्वारा चयनित पीठासीन मध्यस्थ होंगे ।

ii. मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

iii. मध्यस्थता करने का स्थान मुंबई, भारत होगा ।

iv. इसके अनुसरण में दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

v. मध्यस्थों के पास अनुच्छेद 11(के) में वर्णित प्रकार का हर्जाना देने की कोई शक्ति नहीं होगी।"

15. 9 अप्रैल, 2020 को उत्तरदाता द्वारा उक्त तीन करार को समाप्त करने के समाप्ति पत्र और निर्णय के पहले भाग में बताए गए पक्षों के बीच हुए अन्य पत्राचार भी विवादित नहीं हैं। तथापि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए मध्यस्थता नोटिस के जवाब में उत्तरदाता ने 17 जनवरी 2021 के पत्र में एक विवाद उठाया था कि अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई गई थी और परिणाम महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के अनुसार होंगे, उत्तरदाता ने सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान का प्रस्ताव रखा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों, और एक एकल मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा सुने जाने वाले तीन अनुबंध के तहत विवादों को समेकित करने के विकल्प का भी सुझाव दिया

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयास विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से , उत्तरदाता द्वारा प्रस्तावित एक ही मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा सुने जाने वाले तीन अनुबंध के तहत विवादों को समेकित करने पर भी सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थों के नाम भी प्रस्तावित किए, तथापि, उत्तरदाता उक्त नाम उत्तरदाता सहमत नहीं थे। उत्तरदाता एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई नाम प्रस्तावित करने में भी विफल रहा।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मध्यस्थता समझौते तीनों करार में निहित हैं, अर्थात् तटवर्ती सेवा समझौता, पट्टा समझौता और ड्रिलिंग सेवा समझौता, चूंकि तीनों में निहित मध्यस्थता समझौते करार को उत्तरदाता द्वारा विवादित नहीं किया गया था, और चूंकि स्वयं उत्तरदाता ने उक्त करार के तहत विवादों को सम्मिलित करने और उन्हें एकल मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने का प्रस्ताव दिया था, अब उत्तरदाता यह कह नहीं सकता कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों समझौतों पर महाराष्ट्र स्टांप शुल्क अधिनियम के तहत अपेक्षित स्टांप शुल्क के निर्धारण के संबंध में मामला कलेक्टर के समक्ष लंबित है। **एन. एन. ग्लोबल मर्कैंटाइल (सुपरा)** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान लंबित रहने तक मध्यस्थता करार की प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं है।बेशक, उक्त मुद्दा संविधान पीठ द्वारा विचाराधीन है, फिर भी जैसा कि इस न्यायालय ने **इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)(सुपरा),** में कहा है, जो मामले अभी भी नियुक्ति से पहले के चरण में लंबित हैं, उन्हें तब तक मुल्तवी नहीं छोड़ी जा सकती जब तक कि बड़ी पीठ इस मुद्दे को निराकृत नहीं कर देती- उक्त प्रस्ताव का

पालन करते हुए और मध्यस्थता मामलों में समय की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए, हम वर्तमान याचिकाओं पर विचार करना और उन्हें अनुमति देना उचित समझते हैं।

17. चूंकि उत्तरदाता ने प्रस्ताव दिया था और याचिकाकर्ता तीन करार, अर्थात् ऑनशोर सर्विस एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और ड्रिलिंग सर्विस एग्रीमेंट से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को समेकित करने और उन्हें निर्णय के लिए एकल मध्यस्थता में एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने पर सहमत हुआ था, इसे इस प्रकार आदेश दिया गया है की -तदनुसार, हम श्री सुरेश सी. गुप्ते, पूर्व न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय को एक एकल मध्यस्थता के रूप में मानते हुए उक्त तीन समझौतों से उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। मध्यस्थता के अन्य नियम और शर्तें तीन करार में निहित खंड 23 के अनुसार होंगी, जिन्हें मध्यस्थता कार्यवाही पर उपयुक्त रूप से लागू किया जायेगा

18. तीनों याचिकाओं को तदनुसार स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है।

याचिकाओं की अनुमति दी गई।

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

TRANSLATED BY: -

Snow Maria Tigga

I Additional Judge to the court of
I Civil Judge, Junior Division,
Nagod (Satna) (Trainee Civil Judge)